

“अगर तुम रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की इताअत करोगे तो
हिदायत पाओगे” (कुरआन)

एक बातचीत

- अब्दुल्लाह : अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह ।
- अहमद : वालेकुमस्लाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू । कहिये ।
- अब्दुल्लाह : एक मसला दर्याफ्त करने आया हूं ।
- अहमद : फरमाइये । बंदा हाजिर है ।
- अब्दुल्लाह : सुना है अहले हदीस एक नया ही फिरका निकला है जो न सहाबा-ए-किराम को मानते है न इमामो को बल्कि बुजुर्गो को भी गालियां देते है ।
- अहमद : भाई । यह झूठी बाते फैलाई हुई है (प्रोपेगण्डा), हम न किसी को बुरा कहते है, न गाली देते है, बल्कि इज्जत वालो की इज्जत करते है ।
- अब्दुल्लाह : आप इमामो को मानते है ।
- अहमद : क्यो नहीं ।
- अब्दुल्लाह : लेकिन लोग तो कहते हैं आप इमामों को नहीं मानते ।
- अहमद : ईसाई भी तो कहते हैं कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, तो क्या आप ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते ?
- अब्दुल्लाह : हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते है ।
- अहमद : फिर ईसाई क्यो कहते है कि नहीं मानते ।
- अब्दुल्लाह : इसलिये कि जैसे वो मानते है वैसा हम नहीं मानते ।
- अहमद : उसी तरह से लोग हमें कहते है क्योकि जैसे वो इमामो को मानते हैं वैसा हम नहीं मानते
- अब्दुल्लाह : वो इमामो को कैसे मानते है ?
- अहमद : नबियों की तरह ।
- अब्दुल्लाह : नबियों की तरह कैसे ?
- अहमद : उनकी पैरवी करते है, उन के नाम पर फिरके बनाते है जबकि पैरवी और निस्बत सिर्फ नबी का हक है । कितने अफसोस की बात है कि ईसाई जो

काफिर है वो तो अपनी निस्बत अपने नबी की तरफ करके ईसाई कहलाये और आप मुसलमान हाते हुए अपने नबी को छोड़कर अपनी निस्बत इमाम की तरफ करे और हनफी कहलाये । क्या ईसाई अच्छे न रहे जिन्होंने कम से कम निस्बत तो अपने नबी की तरफ की ।

अब्दुल्लाह : आप जो हनफी नहीं कहलाते तो क्या इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते ?

अहमद : अगर हम हनफी नहीं कहलाते तो उस के यह मानी तो नहीं कि हम उनको इमाम नहीं मानते । हम उन को इमाम मानते है लेकिन नबी नहीं मानते कि आप की तरह उन के नाम पर हनफी कहलाये । आप ही बताये आप जो शाफई नहीं कहलाते तो क्या इमाम शाफई रह0 को नहीं मानते ?

अब्दुल्लाह : हम इमाम शाफई रह0 को जरूर मानते है लेकिन जब हनफी कहलाते है तो फिर शाफई कहलाने की क्या जरूरत ।

अहमद : हमें भी मुहम्मदी या अहले हदीस कहलाने के बाद हनफी कहलाने की क्या जरूरत ।

अब्दुल्लाह : आप मुहम्मदी क्यों कहलाते है ।

अहमद : आप अपने इमाम के नाम पर हनफी कहलाये हम अपने रसूल हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुहम्मदी कहलाते है जिन्हे हम अपना इमाम तस्लीम करते है और हमारे इमाम तो सारे नबियों के भी इमाम है और सारी कायनात मे हमारे इमाम की बात के बाद किसी नबी के लिये भी ये गुंजाईश नहीं की वो इसके खिलाफ बोले या करे । अब आप बताईये ये निस्बत बेहतर है या हनफी ।

अब्दुल्लाह : निस्बत तो मुहम्मदी ही बेहतर है लेकिन हनफी भी तो गलत नहीं ।

अहमद : गलत क्यों नहीं ? रसूल के होते हुये फिर किसी और की तरफ मंसूब होना किस शरियत का मसला है ? हुजुरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ कर किसी और की तरफ निस्बत करने का मतलब यह है कि वो गलतकार है और अपने आपको गैर की तरफ मंसूब करता है । रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया – ला तरग्बू अन आबाएकुम फमन

रगेबा अन अभीहे फकद कफर यानि जो अपने बाप से निस्बत तोड़ता है तो कुफ्र करता है (मिशकात)

दूसरी हदीस मे फरमाया ‘ ‘मनिद’दआ इला गैरे अभीहे व होवा यालमो फिल जन्नतो अलेहे हराम’’ यानि जो अपनी निस्बत गैर बात की तरफ करता है उस पर जन्त हराम है (मिशकात)

जब आहंजरत सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीनी रहनुमा है तो उनको छोड़कर गैर की तरफ निस्बत करना बेदीनी नहीं तो और क्या है ? इसके अलावा आप बताये हनफी बनने के लिये किसने कहा है ? क्या अल्लाह ने कहा या उस के रसूल ने या खुद इमाम साहब ने ? जब हनफी बनने के लिये किसी ने कहा नहीं हनफियत इस्लाम की कोई किस्म नहीं, हनफियत नाम की इस्लाम मे कोई दावत नहीं तो हनफी निस्बत गलत क्यो नहीं?

अब्दुल्लाह : हनफी कहलाने वाले जितने पहले गुज़रे है क्या वो सब गलत थे ?

अहमद : पहले के हनफी जो थे उनकी यह निस्बत शागिर्दी की निस्बत थी, मज़हबी निस्बत नहीं थी । यह निस्बत गुमराही उस वकत बनती है जब मज़हबी हो और फिरकापरस्ती की बुनियाद पर हो अगर यह निस्बत उस्तादी शागिर्दी की हो तो कोई हर्ज नहीं । और यही सवाल कि जो पहले गुजर गये क्या वो गलत थे यही सवाल फिरऔन ने हज़रत मुसा अलैहिस्सलाम से किया था तो हज़रत मुसा अलैहिस्सलाम ने कहा ‘‘इसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब मे दर्ज है, मेरा रब न चुकता है और न भुलता है’’ (सुरह ताहा आयत 51-52) ।

अब्दुल्लाह : अगर हनफी कहलाना सही नहीं क्योंकि फिरकापरस्ती है तो अहले हदीस कहलाना भी तो फिरकापरस्ती है ।

अहमद : अहले हदीस कोई फिरका नहीं है अहले हदीस तो ऐन इस्लाम है इस्लाम नाम नबी की पैरवी का है नबी की पैरवी उन की हदीस पर अमल करने से हो सकती है लिहाज़ा अहले हदीस बने बगैर तो चारा ही नहीं । और अहले हदीस सिफाती नाम है, जैसे अल्लाह का ज़ाती नाम ‘‘अल्लाह’’ है और रहीम, रहमान, गफफार, करीम, कुदुस, गौस, वगैरह वगैरह ये सब अल्लाह के सिफाती नाम है, जैसे मदीना के सहाबा अंसार कहलाये अंसार का मतलब

होता है मदद करने वाला और उन्होंने हिजरत करके आने वाले सहाबा की मदद की इसलिये उनका सिफाती नाम "अंसार" हुआ । और जो सहाबा किराम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गये उनका सिफाती नाम "मुहाजिर" हुआ । जिस तरह हज़रत अब्दे शम्स रद्विअल्लाह ताआला अनहू का सिफाती नाम "अबुहुरैरा" पड़ा उन्हे इसी नाम से आज तक जाना जाता है असली नाम से कम ही लोग वाकिफ है । उसी तरह हमारा ज़ाती नाम 'मुसलमान' है और चूंकि हम हर अमल पर हुजुर अकरम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल, अमल, तकरीरी (हदीस) को हुज्जत समझते है इसलिये हमारा सिफाती नाम अहले हदीस है । और सारे के सारे सहाबा, ताबई, ताबे ताबई मुहद्देसीन, फुकहा किराम, सल्फ सालेहीन सब अहले हदीस ही थे ।

अब्दुल्लाह : हदीस को तो हम भी मानते है ।

अहमद : सिर्फ मानते ही है अमल नहीं करते अगर अमल करते होते तो अहले हदीस होते । आदमी मानता बहुतो को है लेकिन मंसूब उसी की तरफ होता है जिस से ज्यादा ताल्लुक होता है । मानने को तो आप हदीस को भी मानते है और इमाम शाफाई रह0 को भी, लेकिन अहले हदीस कहलाते है ना शाफाई बल्कि हनीफा कहलाते है क्योकि आपका असल ताल्लुक इमाम अबु हनीफा रहमतुल्लाह और उनके फिकह से है । मानने को हम भी इमामो को को मानते है लेकिन मंसूब सिर्फ मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही होते है क्योकि उनकी पैरवी करते है और उने से ही ज्यादा ताल्लुक है ।

अब्दुल्लाह : हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सब मानते है नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप का कोई इमाम नहीं ?

अहमद : हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी इमाम की जरूरत है ?

अब्दुल्लाह : जिन्दगी हरकत मे है नये नये मसाइल पैदा होते है आखिर वो किस से ले ?

अहमद : हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो ।

अब्दुल्लाह : उन से अब कैसे ले ? वो अब कहां है ?

अहमद : आप हयातुन्नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल नहीं ?

अब्दुल्लाह : क्यों नहीं हयाते नबी का मै जरूरत कायल हूं ।

अहमद : फिर इमाम की क्या जरूरत ? जो लेना हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो

अब्दुल्लाह : वो अब क्या देते है ?

अहमद : अगर कुछ देते नहीं तो हयातुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे और उस का फायदा क्या ?

अब्दुल्लाह : हयात का यह मतलब तो नहीं कि वो अब कुछ देते लेते है ।

अहमद : फिर हयात का और क्या मतलब है ?

अब्दुल्लाह : हयात का मतलब तो यह है कि वो सलाम सुनते है ।

अहमद : क्यों वो सिर्फ सलाम सुनने के लिये हयात है । यह कैसे कि उन के आशिक उन की आंखो के सामने शिर्क, व बिदअत करे और वो उनको गुमराह होता देखते रहे और सलाम सुनते रहे । क्या वो सलाम सुनने के लिये दुनिया मे आये थे या शिर्क व बिदअत को मिटाने और दीन सिखाने के लिये ।

अब्दुल्लाह : दीन तो वो सिखा कर गये, अब क्या सिखाना है ?

अहमद : अगर वो दीन सिखा गये तो फिर इमाम की क्या जरूरत ?

अब्दुल्लाह : जिन्दगी मे नित नये मसाइल पैदा होते रहते है जिनका हल इमाम ही पेश कर सकता है इसलिये इमाम का होना जरूरी है ।

अहमद : आजकल आपका इमाम कौन है जो आपको दरपेश मसले हल करता है ?

अब्दुल्लाह : हमारे इमाम तो इमामे आजम अबू हनीफा रहमातुल्लाह है ।

अहमद : वो कब पैदा हुये ?

अब्दुल्लाह : सन् 80 हिजरी मे यानी हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर साल बाद ।

अहमद : क्या उनके बारे मे आपका अकीदा हयातुलइमाम का है ?

अब्दुल्लाह : नहीं वो तो फौत हो चुके है ।

अहमद : उनको फौत हुये कितना अर्सा हो गया ?

अब्दुल्लाह : तकरीबन 1280 साल ।

अहमद : जब आप इमाम को हयात भी नहीं समझते और हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात मानते है और हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और

इमाम साहब की वफात के बीच कोई ज्यादा लंबा अर्सा भी नहीं तो फिर यह क्या बात है कि इमाम की फिकह तो जिन्दगी के मसले हल कर ले और हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिकह फेल हो जाये और यह काम न कर सके ।

अब्दुल्लाह : इमाम साहब ने अपनी जिन्दगी मे असूले दीन को सामने रख कर फिकह की ऐसी तदवीन (संकलन) कर दी कि लाखो मसले एक जगह जमा कर दिये जो रहती दुनिया तक काम आयेगे ।

अहमद : हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम क्यों नहीं किया ? आखिर इस की क्या वजह है कि हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशकर्दा दीन तो सिर्फ सौ साल काम दे सका लेकिन इमाम साहब ने दीन को ऐसे अंदाज़ से पेश किया कि आज तक काम दे रहा है बल्कि कयामत तक काम देता रहेगा । इस की वजह क्या है ? हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो सौ साल बाद ही इमाम की जरूरत पड़ गई जो जिन्दगी के बढ़ते हुये मसाइल का हल पेश करे लेकिन इस इमाम के बाद तेरह सौ साल गुजर गये आज तक किसी इमाम की जरूरत पेश नहीं आई । वही इमाम वही फिकह काम दे रहे है और आप उन के नाम पर हनफी चले आ रहे है । अगर इमाम साहब ऐसे ही थे तो उन को हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह होना चाहिये था ताकि इखतिलाफात ही न होते, न मुहम्मदी और हनफी का झगड़ा होता न इमामो का चक्कर होता, सब एक होते और हनफी होते । अजीब बात यह है कि हयातुन्नबी आप हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते है और मसले इमाम साहब के मानते है । कलमा मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते है और हनफी बन कर पैरवी इमाम अबू हनीफा रह0 की करते है ।

अब्दुल्लाह : आप लोग का हयातुन्नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन क्यों नहीं ?

अहमद : अगर हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हो तो हम हयातुन्नबी पर यकीन करे । इस अकीदे का कोई फायदा हो तो हम उस को माने । जब आप लोग हनफी बन गये तो हयातुन्नबी का अकीदा कहां रहा । हकीकत यह है कि आप लोग जो हयातुन्नबी को मानते है तो सिर्फ रसमी तौर पर । दिल व

अक़ल से आप भी इस को सही नहीं समझते अगर आप लोग इसे सही समझते होते तो कभी हनफी न बनते । आप का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हनफी बन जाना इस बात की बयान दलील है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात नहीं समझते वरना कौन ऐसा बदबख्त है जो नबी की मौजूदगी में इमाम और पीर पकड़ता फिरे । आप जो इमाम और पीर पकड़ते हैं तो इस का मतलब है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या तो हयात नहीं समझते या काफी नहीं समझते ।

अब्दुल्लाह : आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बिल्कुल कायल नहीं हैं ?

अहमद : हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरज़खी हयात के कायल हैं, दुनियावी हयात के कायल नहीं ।

अब्दुल्लाह : इस का क्या मतलब ?

अहमद : यही कि दुनिया में आप खुद हयात नहीं बल्कि आप की नबुव्वत जिन्दा है । बरज़ख में अल्लाह के यहां आप खुद हयात हैं ।

अब्दुल्लाह : दुनिया में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात नहीं तो लोग उन से दीन कैसे लेते हैं ?

अहमद : जिस इमाम को आप पकड़े हुये हैं वो क्या दुनिया में है ?

अब्दुल्लाह : दुनिया में तो वो भी नहीं है ।

अहमद : फिर आप उन से मसले कैसे लेते हैं ?

अब्दुल्लाह : उनकी तो किताबें मौजूद हैं ।

अहमद : तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मौजूद नहीं ?

अब्दुल्लाह : किताबें तो इमामों ने खुद लिखी हैं लेकिन हदीस तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखी । उस को तो लोगों ने बाद में जमा किया है ।

अहमद : फिकहा-ए-हनफी जिस को आप मानते हैं वो कौन सी इमाम साहब ने खुद लिखी है । वो भी तो लोगों ने ही जमा की है और वो भी बगैर सनद के । इमाम साहब के इन्तेकाल के 278 साल के बाद उनकी तरफ मंसूब करके फिकहा की पहले किताब कुदूरी लिखी गई और बाद में ना जाने कितनी किताबें बगैर

सनद उनकी तरफ मसूब कर दी गई जिसमे ऐसे ऐसे मसअले मौजूद है अगर इमाम साहब उन्हे देख ले तो शर्म से ज़मीन मे गड़ जाये । और इसके बरअक्स हदीसे रसूल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पूरी सनद के साथ पहुंची है, इसके अलावा हदीस दीन है अल्लाह उस की हिफाज़त का जिम्मेदार है, वयोकि अल्लाह सुरह अल हिज़्र आयत नं0 9 मे फरमाता है “बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले है” और हदीस भी कलामुल्लाह ही होती है, और अल्लाह मुहदीसीने इकराम की कब्रों को नूर से भर दे उन्होने अपनी पूरी जिन्दगी हदीस को जमा करने मे और सहीह, जईफ, और मौजू हदीसों को अलग अलग करने मे वकफ कर दी । और अब अलहम्दुल्लिह सहीह और जईफ, मौजू हदीसों की पहचान हो चुकी है । और अल्लाह उस की हिफाज़त का जिम्मेदार है किसी इमाम की फिकहा का अल्लाह तआला जिम्मेदार नहीं है ।

अब्दुल्लाह : अल्लाह तआला फिकहा का जिम्मेदार कयो नहीं है ?

अहमद : इसलिये के फिकहा लोगों की राय और कयास को कहते है जो गलत भी हो सकती है और सही भी । फिकहा अल्लाह की वही नहीं होती जो सही ही हो । फिकहा हर इमाम और फिरके की अलेहदा अलहेदा होती है । हदीसे रसूल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है और सब के लिए एक ही होती है, फिकहा बदलती रहती है हदीस बदलती नहीं । लिहाज़ा हदीस दीन है फिकहा दीन नहीं इसीलिए अल्लाह फिकहा का जिम्मेदार नहीं है ।

अब्दुल्लाह : क्या यह सच है कि फिकहा-ए-हनफी इमाम साहब ने खुद नहीं लिखी ।

अहमद : किसी हनफी आलिम से पूछ ले । अगर कोई साबित कर दे तो
..... ।

अब्दुल्लाह : मान लिया कि हदीस रसूल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की है लेकिन हदीस को हर कोई समझ तो नहीं सकता।

अहमद : क्या फिकहा को हर कोई समझ लेता है ?

अब्दुल्लाह : फिकहा तो बहुत आसान है ।

अहमद : क्या बगैर पढ़े आ जाती है ।

अब्दुल्लाह : नहीं, पढ़ना तो पड़ता है ।

अहमद : फिर क्या हदीस पढ़ने से नहीं आती ।

अब्दुल्लाह : आ तो जाती है लेकिन उस का समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि हदीसों में इख्तेलाफ बहुत है हदीसों को समझना तो इमाम ही का काम है ।

अहमद : यह सब दुश्मनाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उड़ाई हुई बात है वरना हदीसों में इख्तेलाफ कहा ? इख्तेलाफ तो फिकहा में होता है जो नाम ही कौल और राय का है जो है ही इख्तेलाफ का ढेर । हदीस तो रसूल सल्लल्लाहु के फेल और कौल को कहते हैं जिसमें इख्तेलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि दीन होने की वजह से अल्लाह उसका जिम्मेदार है ।

अब्दुल्लाह : फिकहा में भी इख्तेलाफ है ?

अहमद : फिकहा में तो इतना इख्तेलाफ होता है कि जिस की कोई हद नहीं । बड़े जरूरी और अहम मसाइल में भी इख्तेलाफ है । मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किये हुये पानी को ही ले ले जिस से हर वक्त वास्ता पड़ता है, कोई पाक कहता है, कोई पलीद, कोई ज्यादा पाक, कोई कम पलीद कोई ज्यादा पलीद ।

अब्दुल्लाह : यह तो आलिमों की राय का इख्तेलाफ होगा । इमाम साहब का फैसला क्या है ?

अहमद : इमाम साहब के ही तो मुख्तलिफ कौल है इमाम मुहम्मद रह० कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रह० का कौल है कि इस्तेमाल शुद्ध पानी खुद पाक है, दूसरी चीज को पाक नहीं कर सकता । इमाम साहब का दूसरा कौल यह है कि इस्तेमाल किया हुआ पानी पलीद है । इमाम हसन रह० की रिवायत में निजासते गलीज़ा है और इमाम अबू युसुफ की रिवायत में निजासते खलीफा (हिदाया 22) मुनयतुल मुसल्ली में घोड़े की झूठे के बारे में इमाम अबू हनीफा रह० की चार रिवायतें हैं :-

एक रिवायत में नजिस, एक रिवायत में मशकूक, एक रिवायत में मकरूह और एक रिवायत में पाक । बताइए अब हनफी मुकल्लिद किधर जाये किस को सही समझे ? हनफी मौलवी हदीस से तो नफरत दिलाते हैं इख्तेलाफ का हवा दिखाकर और यह नहीं देखते कि हमारे घर में क्या हो

रहा है। इन लोगों की तो यह मिसाल है “बारिश से भागा और परनाले के नीचे खड़ा हो गया” हद्दीस को तो छोड़ा इसलिए कि इसमें इख्तेलाफ है हालांकि उसमें इख्तेलाफ नहीं और फंस गये जाकर इख्तेलाफ की ढलढल यानि फिकहा।

अब्दुल्लाह : आप लोग हमारी तरह किसी एक इमाम को नहीं पकड़ते ?

अहमद : नहीं, अब्बल इसलिये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं। दूसरे यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा मासूम नहीं जिस से गलती न हो, अगर हम किसी एक को पकड़ेंगे और गलती में भी उस की पैरवी करेंगे तो गुमराह हो जायेंगे। इमाम तो शायद अपनी इजतिहादी गलती की वजह से बख्शा जाये लेकिन हम मारे जायेंगे।

तीसरे यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा कामिल नहीं कि जिस को पकड़ कर सारे काम चल जाये। हनफी बनने के बाद बनना पड़ता है – फिर कभी कादरी, कभी चिश्ती, कभी सोहरवर्दी, कभी नक्शबंदी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा नहीं कि एक को पकड़ कर गुजारा हो। दर दर की ठोकरे खाना पड़ती है।

चौथे यह कि एक को पकड़ने से बाकी इमामों का इंकार लाजिम आता है, एक को पकड़ने से फिरके पैदा होते हैं दीन के टुकड़े टुकड़े होते हैं। एक के चार टुकड़े ऐसे ही तो हो गये। कुरआन कहता है “फिरके फिरके न हो (अलरूम 31-32)।

जो फिरके बना लेते हैं वो मुशरिक हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी एक को पकड़ना दीन को बरबाद करने वाला खुद को मुशरिक बनाने जैसा है (हम अल्लाह से इसकी पनाह मांगते हैं)।

अब्दुल्लाह : आपका फिरका कब बना है ?

अहमद : हमारा फिरका बना नहीं। फिरका तो वो बनता है जो असल से कटता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी एक इमाम को पकड़ कर अपना नाम उस के नाम पर रखता है फिर उस की तकलीद करता है। हम तो

असल है यानी अहले हदीस और उसी वक़्त से है जब से हदीस है । और हदीस उस वक़्त से है जब से रसुले करीम सल्लल्लाहु अलैहि है । हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नहीं पकड़ते कि उस की तकलीद करके फिरका बने । हम फिरका नहीं हम असल है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है उन की हदीस पर अमल पैरा है ।

अब्दुल्लाह : आप हमारी तरह अहले सुन्नत क्यो नहीं ?

अहमद : आप अहले सुन्नत कहां । आप तो हनफी है । अहले सुन्नत तो हम है जो हनफी शाफई मालिकी हंबली कुछ नहीं सिर्फ अहले सुन्नत है ।

अब्दुल्लाह : आप तो कहते है हम अहले हदीस है ।

अहमद : अहले हदीस और अहले सुन्नत मे कुछ फर्क नहीं असल अहले सुन्नत अहले हदीस ही होते है ।

अब्दुल्लाह : आप अहले हदीस क्यो है ?

अहमद : ताकि हनफी अहले सुन्नत और असली अहले सुन्नत मे फर्क हो जाय । असली अहले सुन्नत वो होता है जो सिर्फ सुन्नते रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबन्द हो, किसी इमाम का मुकल्लिद न हो । वो सुन्नत उसे समझता है जो सही हदीसे रसुल से साबित हो । उस के नज़दीक हदीसे रसुल ही सुन्नत का मेयार है, हदीस से ही हर मसले का हल चाहता है । इसीलिये उसे अहले हदीस कहते है । जब इस्लाम सुन्नते रसुल का नाम है और सुन्नते रसुल बगैर हदीसे रसुल के मिल ही नहीं सकती तो अहले सुन्नत बगैर अहले हदीस के हो ही नहीं सकता । हनफी अहले सुन्नत वो है जो शीआ के मुकाबले मे अहले सुन्नत वल जमाअत होता है । क्योकि यह सुन्नत और जमाअते सहाबा को मानने का दावेदार है और वो मुन्किर है लेकिन अमलन यह अहले सुन्नत नहीं होता बल्कि हनफी होता है, क्योकि इमाम अबू हनीफा की तकलीद करता है और अहले सुन्नत की तारीफ मे किसी इमाम की तकलीद करना बिल्कुल शामिल नहीं । अहले सुन्नत उसे कहते हैं जो सुन्नते रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चले और हनफी उसे कहते है जो फिकाहे हनफी पर चले । अब दोनो को एक साबित करने के लिए सुन्नते रसुल और फिकाहे हनफी को एक

साबित करना जरूरी है जो कि करीबन ना मुमकिन है । जब सुन्नते रसूल और फिकाहे हनफी एक साबित नहीं हो सकते तो अहले सुन्नत और हनफी भी एक नहीं हो सकते । एक फर्क यह भी है कि हनफियत उम्मतियों की बनाई हुई है और सुन्नत नबी की ।

अब्दुल्लाह : अवाम तो हनफियो खास कर बरेलवियों को ही अहले सुन्नत मानते है ।

अहमद : अवाम को नहीं देखा करते । देखा तो हकीकत को करते है कि हनफी बरेलवी की हकीकत क्या है और अहले सुन्नत की क्या ? अहले सुन्नत की हकीकत यह है कि वो सुन्नते रसूल का पाबंद हो, बिदअतों के करीब न जायेगा । हनफी बरेलवी वो है जो इन का पाबंद हो जो खुद ही बिदअत है । अब जिस की ज्ञात ही बिदअत हो वो अहले सुन्नत कैसे हो सकता है ?

अब्दुल्लाह : लेकिन बरेलवी तो अहले सुन्नत होने के खुद भी बड़ें जबरदस्त दावेदार है ।

अहमद : जबरदस्त नहीं बल्कि जबरदस्ती दावेदार है । अगर कोई मूंह करे बरेली को और किबला कहे काबे को, रास्ता चले कूपे का और दावा करे मदीने का तो उसे कौन सच्चा कहेगा

अब्दुल्लाह : आप का भी तो दावा ही है कि हम अहले सुन्नत है ।

अहमद : दावा ही नहीं बल्कि हकीकत है क्योंकि हम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की पैरवी करते है और उन को ही अपना इमाम व हादी और पीर-व-मुर्शिद समझते है । उन के सिवा किसी की तरफ मंसूब नहीं होते हम भी अहले सुन्नत न होते अगर आप की तरह किसी इमाम के मुकल्लिद होते और उस के नाम पर अपनी जमाअत का नाम रखते ।

पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र मे अहले हदीस

अब आप शाह अब्दुल कादिर जिलानी रह0 का बयाने हक निशान भी सुने जो हमारे हक मे जबरदस्त शहादत है । वो अपनी किताब गुनियानुत्तालेबीन (पेज 294) पर फरमाते है :- “बिदअतियों की बहुत सी अलामते है जिन से वो पहचाने जाते है, बड़ी अलामत उन की यह है कि वो

अहले हदीस को बुरा भला और सख्त सुस्त कहते हैं और यह सब उस अस्बयत (तंग नज़री) और बुग़ज (ईर्ष्या) की वजह से है जो उन को असल अहले सुन्नत से होता है। अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है और वो अहले हदीस है।" शाह अब्दुल कादिर जिलानी रह० के इस बयान से वाजेह हो गया कि जो अहले हदीस को बुरा भला कहते हैं वो बिदअती है और जो बिदअती हो वो अहले सुन्नत नहीं हो सकते। नतीजा यह निकलता है कि :-

- 1) अहले हदीस को बुरा भला कहने वाले अहले सुन्नत नहीं हो सकते।
- 2) जो अहले हदीस के उल्टे सीधे नाम रखते हैं (कभी वहाबी कहते हैं कभी गैर मुकल्लिद) वो सब बिदअती है और बिदअती अहले सुन्नत नहीं हो सकते।
- 3) अहले सुन्नत सिर्फ अहले हदीस है बाकी सब जबरदस्ती के दावेदार है।
- 4) जब शाह जिलानी रह० निजात पाने वाली जमाअत को अहले सुन्नत करार देते हैं और वज़ाहत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत सिर्फ अहले हदीस होते हैं तो साबित हुआ कि वो खुद भी अहले हदीस थे।
- 5) जब शाह जिलानी रह० अहले हदीस थे और थे भी पीरे कामिल, मुसल्लम इन्दलकुल तो मालूम हुआ है कि अहले हदीसो मे बड़े बड़ें वली गुज़रे हैं।
- 6) जाहिल आलिमो का यह कहना बिल्कुल गलत है कि अहले हदीसो मे कोई वली नहीं हुआ।
- 7) जो अहले हदीस नहीं था वो वली भी नहीं था (चाहे जाहिलो ने उसे वली मशहूर कर रखा हो)
- 8) निजात के लिए और वली के लिए भी अहले हदीस होना जरूरी है। जो अहले हदीस न हो वली बनना तो दरकिनार उस की निजात का मसला भी खतरे मे है।

अब्दुल्लाह : यह बाते बता कर तो आपने मुझे डरा दिया।

अहमद : आप खुश किस्मत हैं जो डर गये वरना कितने लोग हैं जिन को अपनी निजात की फिक्र नहीं। सिर्फ फिरकापरस्ती में बदमस्त हैं जो उस की हिमायत को ही दीन की खिदमत समझते हैं। सोचने की बात यह है कि पहले हक को पहचाने फिर उस पर पक्का हो जाये।

अब्दुल्लाह : हक का पता कैसे लगे ? हर एक ही अपने आपको हक पर समझता है।

अहमद : हक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कहते हैं और उसी पर चलना राहे निजात है ।

अब्दुल्लाह : कहता तो हर एक यही है कि मैं हक पर हूँ यह पता कैसे लगे कि कौन हक पर है ?

अहमद : जो दीन मे मिलावट न करे वो हक पर है । इस उसूल से आप हर एक को जांच सकते हैं दुनिया मे हर फिरके ने नबी के बाद अपने आपको किसी न किसी की तरफ मंसूब कर रखा है और यह उस के मिलावटी होने की दलील है । अहले हदीस ही एक ऐसी जमाअत है जो किसी तरफ मंसूब नहीं होते सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं जो हदीस से साबित हो ।

अब्दुल्लाह : सुन्नत का क्या मतलब है ?

अहमद : जो रास्ता रसुले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए मुकरर किया हो उसे सुन्नत कहते हैं और उस पर चलने वाले को अहले सुन्नत ।

अब्दुल्लाह : सुन्नते रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता कैसे और कहां से लगता है ?

अहमद : हदीस पढ़ने और हदीस के आलिमो से पूछने से ।

अब्दुल्लाह : हदीस के सब ही आलिम होंगे ।

अहमद : हदीस के आलिम असल मे तो अहले हदीस ही होते हैं । हदीस व सुन्नत के बारे में कुछ मालुम करना हो तो अहले हदीस आलिमों से पूछे । फिकह के बारे मे कोई बात जानना हो तो हनफी आलिमो से दर्याफ्त करें ।

अब्दुल्लाह : हदीसे कौन-कौन सी मोतबर है ?

अहमद : हदीस की किताबो के कई दर्जे हैं । कुछ आला दर्जे की कुछ दरमियाना दर्जे की, कुछ कम दर्जे की और कुछ बेकार । आला दर्जे की तीन किताबे हैं 1) सहीह बुखारी 2) सहीह मुस्लिम 3) मुअत्ता इमाम मालिक । दरमियाना दर्जे मे तिर्मिजी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा और मुसनद अहमद वगैरह । तीसरे दर्जे मे त्हावी, तिबरानी, और बैहकी । तीसरे दर्जे की किताबो मे चूंकि हर तरह की हदीसे है इसलिए आमाल का दारोमदार और मोहदिसीन और फिकहा का

एतबार सिर्फ पहले और दूसरे दर्जे की किताबों पर है । चौथे और पांचवे दर्जे की किताबे बहुत हद तक एतबार के लायक नहीं है ।

अब्दुल्लाह : किताबो के यह तकसीम किसने की है ?

अहमद : पहले उलेमा ने । शाह वली उल्लाह साहब देहलवी की हुज्जातुल्लाह पढ़ कर देखे आप को इंशाअल्लाह सब कुछ मालुम हो जायेगा ।

अब्दुल्लाह : इस तकसीम को सब फिरके मानते है ।

अहमद : अहले सुन्नत कहलाने वाले सब फिरके मानते है ।

अब्दुल्लाह : क्या दर्जा अक्वल की किताबों की तमाम हदीसे सही है ?

अहमद : हां करीब करीब सब सहीह है ।

अब्दुल्लाह : अल्लाह ने कुरआन मजीद मे हमारा नाम मुस्लिम रखा है फिर आप अहले हदीस क्यो कहलाते है ?

अहमद : मुस्लिम तो हमारा जाती नाम है जैसा कि बच्चे की पैदाईश पर उस का रखा जाता है लेकिन अहले हदीस हमारा सिफाती नाम है जो हमारे तरीकेकार को ज़ाहिर करता है । आदमी के कई नाम उस के पेशे, मशागिल और उस के औसाफ के पेशेनज़र पड़ जाते है । न यह शरअन मना है उरफन । रसूलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहम्मद और अहमद जाती नाम थे । हाशिर, आकिब, मुक्फी वगैरह बहुत से सिफाती नाम है जो आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमताज़ करते है । कुरआन ने ईसाईयो को अहले इंजील कहा है (अलमायदा 47) हदीस मे है 'ऐ अहले कुरआन वित्र पढ़ा करो ।'

अब्दुल्लाह : कुछ भी हो हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मे तो यह मुसलमानो का नाम नहीं था ।

अहमद : क्यो नहीं था नाम तो था अगरचे मशहूर नहीं था, क्योकि सब ही दीन को कुरआन से यह फिर मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ही लेते थे, मगर जब शीआ का चर्चा हुआ तो अहले सुन्नत वल जमाअत का नाम मशहूर हुआ , जब इमामों की अंधी तकलीद ने जोर पकड़ा तो अहले हदीस के नाम को फरोग हुआ । सहाबा किराम अपने आप को इन नामो से पुकारते थे ।

हज़रत अबू सईद खुदरी रदिएल्लाह तआला अनहू सहाबी रसूल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस के नवजवान सीखने वालो को देखते तो कहते – नवजवानो तुम्हे नबी करीम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत मुबारक हो मरहबा नबी करीम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमे हुक्म दिया है कि अपने इल्मी मजलिसो को तुम्हारे लिए फैला दे और तुम्हे हदीसे समझाये हां हां तुम हमारे खलीफे हो और हमारे बाद तुम ही अहले हदीस हो । देखा आपने ।

अब्दुल्लाह : अगर सिफाती नाम रखना बिदअत नहीं तो फिर हनफी कहलाने मे क्या हर्ज है ?

अहमद : हनफी कहलाने मे बहुत हर्ज है । एक हनफी कहलायेगा तो दूसरा शाफई, इस तरह से इस्लाम मे फिरके पैदा होंगे । जब हमारा असली नाम अल्लाह की तरफ से मुस्लिम है तो सिफाती नाम ऐसा होना चाहिये जो असली से मेल रखता हो । हनफियत से इस्लाम की तारीफ नहीं होती क्यों कि हनफियत इस्लाम की कोई किस्म नहीं है । नाम वो रखना चाहिये जो इस्लाम के मुताबिक हो । अहले हदीस नाम इसीलिए ज्यादा जामे है क्योंकि अहले हदीस से मुराद वो जमाअत है जो कुरआन व हदीस पर अमल करे ।

अब्दुल्लाह : हमने सुना है कि आप तकलीद को भी शिर्क कहते है, हालांकि तकलीद का शिर्क से क्या तआल्लुक है ?

अहमद : तआल्लुक क्यों नहीं, तकलीद और शिर्क का तो चोली दामन का साथ है । शिर्क तकलीद की सरजमीन पर ही उगता है । हर मुशरिक पहले मुकल्लिद होता है फिर मुशरिक । अगर तकलीद न हो तो शिर्क कभी पैदा न हो मुकल्लिद अपने इमाम को इतना बड़ा समझता है कि खुद को जानवर मान लेता है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अल्लाह का शरीक ठहरा लेता है ।

अब्दुल्लाह : ये तो आपने गलत कहा अल्लाह का शरीक कैसे ?

अहमद : इस तरह कि उस की बात को खुदाई हुक्म समझता है ।

अब्दुल्लाह : यह शिर्क और शरीक ठहराना कैसे हुआ ?

अहमद : अल्लाह का हक अपने इमाम को जो दिया कुरआन मे है "उन्होने ऐसे शरीक बना रखे है जो उन के लिए दीन मे ऐसे मसले बनाते है जिन की मंजूरी अल्लाह ने नहीं दी" इस आयत मे जिस के कौल व कयास को दीन समझा जाय उस को अल्लाह ने अपना शरीक करार दिया है । अल्लाह के हुक्म के बिना तो नबी की बात दीन नहीं हो सकती तो फिर आलिमो की राय और कयास को दीन कैसे बनाया जाय । लेकिन मुकल्लिद अपने इमाम की बात को दीन समझता है । अल्लाह तआला फरमाता है "यहूद व नसारा जब बिगड़े तो उन्होने अपने उलेगा व मशाइख को रब बना लिया " (सुरह तौबा-31) । अदी बिन हातिमताई रदिअल्लाह अनहू जब मुसलमान हुये तो उन्होने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो अपने उलेमा और मशाइख को रब नहीं बनाया था आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम उन के हलाल कर्दा को हलाल और उन के हराम कर्दा को हराम नहीं समझते थे यानी की उन की राय को दीन नहीं बना लेते थे ? उन्होने कहा यह बात तो थी, आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही तो रब बनाना है (तिर्मिजी) ।

अब्दुल्लाह : हम तो अपने इमाम को रब नहीं बनाते हम तो सिर्फ इमाम मानते है ।

अहमद : रब तो वो ईसाई और यहूदी भी नहीं कहते थे लेकिन दर्जा उन को रब का देते थे इसीलिए अल्लाह ने इसे रब बनाना करार दिया है । नाम बदल देने से हकीकत नहीं बदल जाती । आखिर आप इमाम क्यों बनाते है ?

अब्दुल्लाह : दीन के मसले लेने के लिए ।

अहमद : यही काम तो यहूद व नसारा किया करते थे जैसा कि हज़रत अदी बिन हातिमताई रदि० ने मुसलमान होकर तस्लीम किया । क्या ऐसी इमामत की इस्लाम मे गुजाईश है ?

अब्दुल्लाह : क्या कुरआन मजीद मे नहीं "व ज अलना हुम अइम्मतैयहदुना बेअमरेना" और हमने उन्हे इमाम बनाया जो हमारे हुक्म से लोगों को राह दिखाते थे (सुरह अल अंबिया -73)

- अहमद : यह तो नबियों के बारे में है नबी तो इमाम हो सकता है बल्कि इमाम होता है क्योंकि उसे अल्लाह इमाम बनाता है नबी के सिवा कोई इमाम नहीं हो सकता ।
- अब्दुल्लाह : आप कहते हैं कि नबी के सिवा इमाम नहीं हो सकता हालांकि इस्लाम में बड़े बड़े अइम्मा-ए-द्दीन गुजरे हैं ।
- अहमद : अइम्मा-ए-द्दीन से मुराद यह है कि वो द्दीनी ऊलूम के बड़े आलिम थे न कि काबिल इताअत । इस किस्म की इमामत का तसव्वुर इस्लाम में बिल्कुल नहीं है । सब से पहले यह अकीदा शियाओ ने घड़ा, अहले सुन्नत ने यह अकीदा उन से लिया । शिया ने यह अकीदा अकीदा ए रिसालत को कमजोर करने के लिए घड़ा था, उनके यहां पैगम्बर और इमाम में कोई फर्क नहीं । मुकल्लिद चाहे सुन्नी हो या शीआ इमामत का तसव्वुर करीबन एक ही है ।
- अब्दुल्लाह : शीआ तो अपने इमाम को मासूम कहते हैं हम अपने इमाम को मासूम तो नहीं कहते ।
- अहमद : ज़बान से बेशक न कहे लेकिन समझते मासूम ही हैं, जब ही उन के नाम पर मज़हब बना कर हनफी कहलाते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि इस्लाम में सिवाये पैगम्बर के कोई इमाम नहीं हो सकता ।
- अब्दुल्लाह : इमाम तो हमने इस लिए बनाया है कि कयामत के रोज बुलाया ही इमामों के नाम पर जायेगा जैसा कि कलाम पाक की आयत "जिस दिन हम सब लोगों को उनके इमामों के साथ बुलायेगे" (सुरह बनी इसराईल-71) ।
- अहमद : इस आयत में इमाम से मुराद नामा ए आमाल है आप के बनाये हुये इमाम नहीं इसी के आगे वजाहत मौजूद है हम तमाम लोगों को उन के नामा ए आमाल के साथ बुलायेगे फिर जिस के दाये हाथ में नामा ए आमाल दे दिया गया वो उस को पढ़ेगा और खुश होगा । जुल्म किसी पर न होगा – लेकिन इमाम का मतलब इमाम ही लिया जाय तो इमाम वो हैं जिन को अल्लाह ने इमाम बनाया है यानी अंबिया अलैहिस्सलाम , कयामत के रोज उम्मतों को उन के अंबिया के नाम पर पुकारा जायेगा । फिर खुश किस्मत होंगे वो लोग जिन्होंने अपने इमाम बना कर उनकी तकलीद नहीं की बल्कि नबियों की पैरवी की, वो अपने

नबियों के साथ जन्नत में चले जायेंगे अहले हदीस के लिए यह बहुत बड़ा शर्फ है कि उन के इमाम सिर्फ नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो उन के साथ जन्नत में चले जायेंगे और गैर नबी की बात को हुज्जत समझने वाले और गैर नबी की पैरवी करने और गैर नबी को अपना इमाम बनाने वाले खड़े रह जायेंगे। क्योंकि आयत के शुरू में ही वजाहत है कि हम सभी लोगों को बुलायेंगे इसमें मुसलमान, यहूदी नसारा, सब शामिल है क्योंकि अल्लाह ने सब की तरफ नबी भेजे है, अगर इससे मुराद सिर्फ इमाम होते तो अल्लाह फरमाता कि हम सभी मुसलमानों को उनके इमामों के साथ बुलायेंगे। और आपके इमाम अबू हनीफा रह० तो है नहीं क्योंकि उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा इमाम हूँ मेरी तकलीद करना।

अब्दुल्लाह : हम जो इनको मानते हैं और इमाम समझते हैं।

अहमद : आप के समझने और कहने से क्या होता है ? जब तक इमाम इत्तिदा की नियत न करे वो इमाम कैसे बन जायेगा ? आप तो यह बताये कि देवबन्दी और बरेलवी दोनों ही अबू हनीफा रह० को इमाम मानते हैं। अब देवबन्दी और बरेलवी दोनों तो जन्नत में जा नहीं सकते इसलिए कि वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं तो फिर इमाम अबू हनीफा रह० किस के साथ होंगे क्योंकि वो तो दोनों के इमाम हैं। इसी तरह अगर शीआ अपने इमामों के साथ जन्नत में चले गये तो फिर सुन्नी अपने इमामों के साथ कहां जायेंगे और सुन्नी अगर जन्नत में चले गये तो शीआ कहां जायेंगे जन्नत में तो दोनों जा नहीं सकते अब आप ही बताये आप के उसूल पर शीआ इमाम दोज़ख में जायेंगे या सुन्नी हांलांकि इमाम दोनों फिरको के नेक और स्वालेह थे और वो इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में जायेंगे

अब्दुल्लाह : बात तो आप की ठीक है यह इमामों का मसला है तो यकीकनन बहुत बड़ा चक्कर।

अहमद : ऐसा ही चक्कर वो है जो मुकल्लिदीन कहते हैं कि हम अपने इमामों और औलिया के साथ होंगे क्योंकि हमें उन से मुहब्बत है और अहले हदीस चूंकि किसी को मानते नहीं इसलिए उनको किसी का भी साथ नसीब नहीं होगा।

हम तो एक बात जानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कभी उस से मुहब्बत नहीं रखेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद उन की इतिबा न करे । इसी तरह हज़रत हुसैन रजि० शाह जिलानी रह० और दूसरे इमाम व औलिया कभी किसी ऐसे से मुहब्बत नहीं रख सकते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी न करे बल्कि शिर्क व बिदअत करे और अपनी तरफ से इमाम बना कर उन की तकलीद करे । वो सब जानते हैं कि इताअत सिर्फ अल्लाह के हुक्म की है इस लिए वह अपनी पैरवी किस तरह करा सकते हैं ? कुरआन मजीद मे है “उसके पीछे चलो जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ उतारा है उस का हुक्म मानो, उस का हुक्म छोड़ कर औलिया के पीछे न जाओ 1” औलिया से मुराद यहां वो हस्तियां हैं जिन को लोग खुद तजवीज करते हैं और अपने लिए ज़रिया-ए-निजात समझ कर सहारा बनाते हैं हालांकि सिवाये पैगम्बर की पैरवी के और कोई निजात का जरिया नहीं है । दुनिया मे जितने शिर्क व बिदअत करने वाले हैं हकीकत मे उन का पीर, उनका इमाम और उनकी वली सिर्फ शैतान है वो नाम अल्लाह वालो और इमामो का लेते हैं लेकिन पैरवी शैतान की करते हैं । कुरआन शैतान की पैरवी से मना करता है । कुरआन कहता है “शैतान की इबादत न करो (यासीन -60) “शैतान की पैरवी न करो (अल बकरा -168) कयामत के रोज़ जब अल्लाह तआला दोज़खियो को दोज़ख मे डालने के लिए अलेहदा कर लेगा तो फरमायेगा “ ऐ इंसानो क्या मैंने तुम्हे नहीं बताया था कि शैतान की इबादत न करना वो तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, इबादत मेरी करना यही सीधा रास्ता है, किन तुमने परवाह न की, उसने तुम मे से कितनी भारी तादाद मे गुमराह कर लिया है, क्या तुम बेअक्ल थे जो तुम्हे पता नही लगा” (सुरह यासीन -60,61) यह होता यूं है कि जब शैतान किसी को नबी की पैरवी मे जरा नर्म देखता है तो फौरन उस को अपने दामन मे लेने की कोशिश करता है, अपने बड़े बड़े इंसानी चेलो के जरिये नबी की जगह पैरवी के लिए उन बुजुर्गो के नाम तजवीज करता है जिन की दुनिया मे मकबूलियत व शोहरत होती है, उन के नाम पर शिर्क व बिदअत के बड़े बड़े सिलसिले जारी करता है (तसव्वुर उन बुजुर्गो का पेश

करता है और पूजा पाठ अपनी कराता है) अनपढ़ जाहिल उन बुजुर्गों के नामों की वजह से उसके धोखे में आ जाते हैं और उस की पैरवी करने लग जाते हैं और नहीं समझते कि हम किस उल्टी राह पर लग गये हैं बल्कि उस उल्टी राह को ही राहे रास्त समझते हैं। अल्लाह फरमाता है “शैतान के गुमराह किये हुए लोग काम गलत करते हैं लेकिन जिहालत की वजह से यह समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं” (अल कहफ- 104) यह कितना बड़ा धोखा है और अल्लाह ने उस के धोखे से बार बार खबरदार किया है “होशियार रहना, धोखेबाज तुम को धोखा देकर खुदा से दूर न कर दे, यह धोखेबाज शैतान तुम्हारा दुश्मन है इसे दुश्मन ही समझना” शैतान इमामों और औलियाओं का नाम लेकर ऐसा ज़ेहन तैयार करता है कि वो उनकी इबादत शुरू कर दते हैं। रह गये असली बुजुर्ग जिन के नाम लेकर शैतान अपनी इबादत करवाता है उन को पता तक नहीं होता कि उन के मानने वाले कौन हैं और वो क्या करते हैं। वो बुजुर्ग बिल्कुल बेखबर होते हैं। कुरआन मजीद में है “जिन को तुम पुकारते हो, जिन की तुम इबादत करते हो वो तुम्हारी इन हरकतों से बिल्कुल बेखबर है कयामत के दिन वो तुम्हारे मुखालिफ होंगे (सुरे अल अहकाफ - 5)(सुरे युनुस-28)(सुरे मरयम-82) ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा “ऐ ईसा ईसाई जो तेरी और तेरी मां की इबादत करते हैं तो क्या तुने उन से कहा था कि ऐसा करना” (सुरह अल माइदा - 116) वो साफ इंकार कर देंगे। ऐसे इमाम अबू हनीफा रह0 और दूसरे औलिया भी साफ इंकार कर देंगे कि हमने उन से नहीं कहा था कि हमारी तकलीद करना, यह सब कुछ अपनी मर्जी से करते रहे हैं। इसलिये तकलीद का सिलसिला सरासर गुमराही है उस से बिल्कुल बचना चाहिए। अब आप खुद देखें कि आप को सुन्नते रसूल चाहिये या सुन्नते इमाम? अगर सुन्नते रसूल चाहिये तो वो हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगी और सुन्नते इमाम चाहिये तो वो फिकहा ए हनफी से मिलेगी।

अब्दुल्लाह : सुन्नत रसूल की होती है न कि इमाम की।

- अहमद : अगर इमाम की सुन्नत नहीं है तो आप हनफी क्यों बने ? आखिर हनफी किसे कहते हैं
- अब्दुल्लाह : हनफी वो होता है जो कि फिकहा ए हनफी पर चले ।
- अहमद : फिकहा ए हनफी किसे कहते हैं ?
- अब्दुल्लाह : इमाम अबू हनीफा रह0 के मसलक को ।
- अहमद : मसलक से क्या मुराद है ?
- अब्दुल्लाह : मसलक तरीके को कहते हैं ।
- अहमद : सुन्नत भी तो तरीके को ही कहते हैं । जब हम कहते हैं कि यह हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो इसका यह मतलब होता है कि यह उन का तरीका है इस तरीके से नबी करीम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किया था करने को कहा था । तो जिस तरीके पर आप चलते हैं इस तरह आप उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं कहिए यह ठीक है या नहीं ?
- अब्दुल्लाह : यह बिल्कुल ठीक है यह बात मेरी समझ में आ गई ।
- अहमद : इसीलिए तो हम कहते हैं कि हनफी इमाम अबू हनीफा रह0 के तरीके पर चलता है और अहले हदीस रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ।
- अब्दुल्लाह : लेकिन इमाम अबू हनीफा रह0 को तरीका कोई अलेहदा तो नहीं उनका तरीका भी तो वही है जो रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ।
- अहमद : तरीका वहीं हो या मुख्तलिफ हनफी के पेशे नजर तो तरीका ए हनफी ही होता है, वो तो हनफी तरीके पर ही चलता है, जो उस के मज़हब में है चाहे वह सुन्नते रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम न हो वो उस पर जान देता है ।
- अब्दुल्लाह : मैं यह मानता हूँ हमें बिल्कुल यह ख्याल नहीं होता कि हमारा यह मसला सुन्नते रसुल के मुताबिक है या मुख्तलिफ हमें तो यह याद होता है कि हम हनफी हैं और हमें अपने फिकहा पर चलना है, हम तो अपने इमाम के मज़हब पर चलेंगे । अगर हमारे इमाम ने किसी हदीस पर अमल नहीं किया तो हम क्यों करेंगे ।

अहमद :

ठीक है जब वो सुन्नते रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलता नहीं, और अपने इमाम की सुन्नत पर चलता है तो उसे ज़ेब नहीं देता कि वो "मुहम्मद रसुलुल्लाह" साथ पढ़े और अहले सुन्नत होने का दावा करे। जिस पाबन्दी से आज एक हनफी अपने इमाम की तकलीद करता है अगर वो उसी पाबन्दी के साथ इतिबा-ए-रसुल करे तो उस की निजात हो जायेगा।

आप जो इमाम अबू हनीफा रह0 की तकलीद करते हैं अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम की तकलीद भी करें तो भी निजात नहीं। हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है "अगर आज मुसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे वास्ते जाहिर हो जाये और तुम उनके पीछे लग जाओ तो गुमराह हो जाओ, और अगर आज मुसा अलैहिस्सलाम होते तो उनको भी सिवाए मेरी इताअत के और कोई चारा न होता"। अब आप खुद सोच ले कहां मूसा अलैहिस्सलाम और कहां इमाम अबू हनीफा रह0 जब नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवारी के बाद मुसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में निजात नहीं तो इमाम अबू हनीफा रह0 की तकलीद में कैसे निजात हो सकती है। बल्कि हम तो खुद इमाम अबू हनीफा रह0 के कौल पर अमल करते हैं कि आप का फरमान है "मेरी बात पर फतवा या अमल तब तक न करो जब तक तुम्हे ये ना पता हो कि मैंने कहां से कही" यानि बगैर दलील अमल मत करो। "और जब मेरी बात हदीसे रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकरा जाये तो उसे दीवार पर मार दो" और दीन वही से लो जहां से हमने लिया यानि कुरआन व सुन्नत से, जब हदीसे सहीह मिल जाये वही मेरा मज़हब है" ये जुमले तो खुद बता रहे हैं कि इमाम साहब खुद अहले हदीस थे

हम तो आप को रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत दे रहे हैं जिन का आप कलमा पढ़ते हैं जिन की पैरवी में ही निजात है और इस से बाहर निजात का कोई तसव्वुर नहीं। सोच ले मामला निजात का है अगर इस हनफियत पर आप का खात्मा हो गया तो मामला बड़ा खतरनाक है।

क्योंकि कुरआन फरमाता है :-

- 1) और अल्लाह और उसके रसूल की इताआत करो, ताकि तुम पर रहम किया जाय (आले इमरान- 132)
- 2) और जब उनको कोई कहे कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ आओ, तु मुनाफिको को देखता है सामने आने से रूकते है (सुरह निसा -61)
- 3) तेरे रब की कसम हर्गिज ये लोग ईमानदार न होंगे जब तक आपस के इखतेलाफ मे तुझे ही इंसाफ करने वाला न बना ले (सुरह निसा-65)
- 4) और जब कोई उनसे कहे कि अल्लाह के हुक्म और रसूल के रास्ते पर आओ तो कहते है कि जिस राह पर हमने बाप-दादाओं को पाया वही हम को काफी है । अगर्चे उनके बाप-दादा न कुछ जानते हो और न सीधी राह पाये हो (सुरह बकरा-170)(सुरह माइदा-104)
- 5) और कहो यही मेरा सीधा रास्ता है बस तुम उसी की ताबेदारी करो, और दुसरे रास्तो की ताबेदारी न करो वरना तुम को अल्लाह की राह से तितर-बितर कर देगे । इसी का अल्लाह ने हुक्म दिया ताकि तुम परेहजगार हो । (सुरह अनआम -152)
- 6) और जो कुछ तुम्हे रसूल दे और जिस चीज़ से मना करे उससे रूक जाओ (अल हश्र-7)
- 7) ऐ लोगों जो ईमान लाये हो, अल्लाह की इताआत करो व उसके रसूल की इताआत करो और (उनकी मुखालेफत करके) अपने आमाल बरबाद मत करो (मुहम्मद -33)
- 8) ऐ रसूल कह दीजिये "अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो खुद अल्लाह तआला तुमसे मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा (आले इमरान -31)
- 9) सुनो जो लोग हुक्मे रसूल की मुखालेफत करते है उन्हें डरते रहना चाहिये कि कही उन पर कोई जबरदस्त आफत या दर्दनाक अज़ाब न आ पड़े (सुरह नूर -63)

- 10) जिसने रसूल की इताअत की तो उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मूंह मोड़ा तो हमने तुम्हे ऐसे लोगों पर कोई रखवाला बनाकर नहीं भेजा (सुरह निसा-80)

वा आखरूदवानि वलहम्दुल्लाहे रब्बिल आलेमीन

इस्लामिक द्वावाअ
सेन्टर,
रायपुर, छत्तसीगढ़